

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 60/2016

लोक अदालत समिधान
न्याय आणके द्वार
2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री आशुतोष राणा पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार, मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स, प्रा. लि., जयपुर रोड़, अजमेर।
2. मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स, प्रा. लि., जयपुर रोड़, अजमेर।
3. विजय लक्ष्मी सोनी पत्नी श्री प्रकाश सोनी, मैसर्स हरी ट्रेडर्स, बी-129, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
4. मैसर्स हरी ट्रेडर्स, बी-129, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
5. कृष्णन जी पुत्र श्री गोपीनाथ मेनन, मैसर्स- हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड, C/O Kausik Brothers, Near Octorie Cheakpost Bad Piplaya ki dhani Rajasthan Dist. Jaipur 302013.
6. मैसर्स- हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड, C/O Kausik Brothers, Near Octorie Cheakpost Bad Piplaya ki dhani Rajasthan Dist. Jaipur 302013.

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :-

1. श्री शोईबुद्दीन खान, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
2. श्री शिशिर विजयवर्गीय वकील अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से।

:- आदेश :-

दिनांक- 25.05.2017

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड नूडल्स (सूपी नूडल्स) knoor Brand विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (1) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (अ.स.स.) अजमेर

एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2015 को 01.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स, प्रा. लि., जयपुर रोड़, अजमेर पर पहुँचे श्री आशुतोष राणा पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को नूडल्स (सूपी नूडल्स) knoor Brand का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान नूडल्स (सूपी नूडल्स) knoor Brand के 280-280 ग्राम के 18 पैक पैकेट रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नूडल्स (सूपी नूडल्स) knoor Brand में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जाँच हेतु 8 पैकेट (280 ग्राम X 8) नूडल्स (सूपी नूडल्स) knoor Brand वास्ते नमूना जाँच हेतु 384/- रूपयें श्री आशुतोष राणा को नगद देकर गवाह श्री प्रेमचन्द शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री आशुतोष राणा को सम्मलाकर रसीद प्राप्त करके खरीदशुदा नूडल्स (सूपी नूडल्स) knoor Brand के प्रत्येक पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1075 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए 2015/9182 दिनांक 08.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/489/एक्ट/2015/496 दिनांक 30.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया नूडल्स (सूपी नूडल्स) knoor Brand मिसबाण्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 01.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 13.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 10.05.2017 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि मैसर्स हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड विश्वसनीय



न्याय निरीक्षण अधिकारी एवं
विविध न्याय कल (द. प्र. सं. 10) अजमेर

अप्रार्थीगण घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे तथा न ही परिवादी द्वारा उनसे किसी भी खाद्य पदार्थ को वास्ते जांच लिया गया। उन्होंने कथन किया कि पत्रावली में न तो उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज है न ही उनके हस्ताक्षर अंकित है बल्कि समस्त कार्यवाही श्री आशुतोष राणा की उपस्थिति में की गई है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने के साथ ही न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ एवं चूरु के आदेश दिनांक 28.12.2015, 4.10.2016 एवं 08.11.2016 का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक ने अपनी जांच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड हुआ है, इसका जांच रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इस कारण केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरुद्ध मिसब्राण्ड का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। परिवाद में वर्णित तथ्यों में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कही भी मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त बहस उपस्थित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्ध करने में असफल रहे हैं, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करे तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करें तथा वरवक्त बहस न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से पैरवी करें। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु लिखा जावेगा। इसके साथ ही अप्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में उन्हें डाई पैनी एवं मसाला मिक्स के पाउच पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग अधिनियम 2011 की पालना में घोषणा अंकित करे ताकि उपभोक्ता के हित की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खा रहे हैं। आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



कमांक :सरिस्ता/अपर/2017/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर
- 3- कृष्णन जी पुत्र श्री गोपीनाथ मेनन, मैसर्स- हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड, C/O Kausik Brothers, Near Octorie Cheakpost Bad Piplaya ki dhani Rajasthan Dist. Jaipur 302013

(किशोर कुमार)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
दिनांक :

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर